

न्यायालय : अतुल बिल्लौरे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर (म.प्र.)

क्रमांक./365/2025

मंदसौर, दिनांक 28.04.2025

— :: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश माह मई एवं जून 2025 ::—

— :: जिला मुख्यालय—मंदसौर ::—

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह— मई 2025	माह— जून 2025
1	श्रीमती रोहिणी तिवारी जे.एफ.एफ.सी.	04-05-2025	--
2	श्री राज कुमार त्रिपाठी जे.एफ.एफ.सी.	--	07-06-2025
3	श्री चिराग अरौरा जे.एम.एफ.सी.	--	22-06-2025
4	श्रीमती रूचि पटेरिया अरौरा जे.एफ.एफ.सी.	25-05-2025	21-06-2025
5.	श्रीमती प्राची पांडे माटा जे.एफ.एफ.सी.	12-05-2025	01-06-2025
5	श्रीमती श्वेता सिंह जे.एफ.एफ.सी.	03-05-2025	15-06-2025
6	सुश्री पूर्वी गुप्ता जे.एफ.एफ.सी.	18-05-2025	29-06-2025
7.	श्री काशीष माटा जे.एफ.एफ.सी.	11-05-2025	08-06-2025

—::तहसील मुख्यालय—नारायणगढ़ ::—

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह मई 2025	माह जून 2025
1	श्रीमती प्रतिभा सोलंकी जे.एफ.एफ.सी.	03-05-2025 04-05-2025 18-05-2025 25-05-2025	21-06-2025 22-06-2025
2	श्री एकाग्र चतुर्वेदी जे.एफ.एफ.सी.	11-05-2025 12-05-2025	01-06-2025 07-06-2025 08-06-2025 15-06-2025 29-06-2025

—::तहसील मुख्यालय—सीतामऊ ::—

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह मई 2025	माह जून 2025
1	श्री विनित साकेत, जे.एफ.एफ.सी.	03-05-2025 04-05-2025	01-06-2025 07-06-2025 08-06-2025 22-06-2025

2	सुश्री सुभांगी तिवारी, जे.एफ.एफ.सी.	11-05-2025 12-05-2025 18-05-2025 25-05-2025	15-06-2025 21-06-2025 29-06-2025
---	--	--	--

— ::तहसील मुख्यालय—गरोठ ::—

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह मई—2025	माह जून—2025
1	श्रीमती कविता संगम सिंह जे.एफ.एफ.सी.	03-05-2025 11-05-2025 18-05-2025	01-06-2025 08-06-2025 21-06-2025 29-06-2025
2	श्री संगम सिंह जे.एफ.एफ.सी.	04-12-2025 12-05-2025 25-05-2025	07-06-2025 15-06-2025 22-06-2025

— ::तहसील मुख्यालय—भानपुरा ::—

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह मई 2025	माह जून 2025
1-	श्री गुरुवेंद्र कुमार हुरमाडे जे.एफ.एफ.सी.	03-05-2025 04-05-2025 11-05-2025 12-05-2025 18-05-2025 25-05-2025	01-06-2025 07-06-2025 08-06-2025 15-06-2025 21-06-2025 22-06-2025 29-06-2025

माह मई एवं जून 2025 के उपरोक्त अवकाशों के अतिरिक्त में यदि कोई अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश घोषित होने अथवा रिमांड ड्यूटी हेतु नियुक्त मजिस्ट्रेट के अवकाश/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति स्वीकृत होने की दशा में मंदसौर/सीतामऊ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा स्थापना पर उक्त दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन **माह मई एवं जून 2025** में क्रमशः श्री चिराग अरोरा/श्री विनित साकेत/श्री एकाग्र चतुर्वेदी/श्री संगम सिंह/श्री गुरुवेंद्र सिंह हुरमाडे के द्वारा किया जावेगा, यदि उनका भी अवकाश/मुख्यालय पर अनुपस्थित होने के आलोक में कार्यविभाजन पत्रक/ग्रीष्मकालीन-अवकाश कार्यविभाजन पत्रक अनुसार उनके प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड ड्यूटी संपादित की जाएगी।

नियत रिमांड ड्यूटी सामान्यतः परिवर्तित नहीं की जा सकेगी। किन्तु आकस्मिकता एवं आपवादिक परिस्थितियों में यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमांड परिवर्तित कराना चाहे, तो संबंधित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित पारस्परिक सहमति प्रेषित किये जाने पर नियत रिमांड ड्यूटी परिवर्तित की जा सकेगी।

सार्वजनिक अवकाश अवधि में न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दिये जाने का आवेदन प्रेषित करते समय आवेदन में उक्त सार्वजनिक अवकाश में उनकी रिमांड ड्यूटी नियत होने या न होने का स्पष्ट उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

समस्त थाना प्रभारी/अनुसंधानकर्ताओं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी से विहित 24 घंटे की समयावधि का अवसान रिमांड ड्यूटी हेतु नियत समय 3.00 बजे के पूर्व समाप्त होने की दशा में उक्त दिनांक को रिमांड ड्यूटी करने वाले न्यायालय के निष्पादक लिपिक से अविलंब संपर्क कर निष्पादक लिपिक के माध्यम से रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट को अवगत कराना तथा रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार रिमांड संबंधी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

विशेष :- यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मंदसौर के आदेश के अधीन प्रभावशील रहेगा।

(अतुल बिल्लौरे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मंदसौर (म.प्र.)

पृ.क.:- 366 / 2025

मंदसौर, दिनांक 28.04.2025

प्रतिलिपि :- (ईमेल-मेसेज द्वारा)

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महोदय मन्दसौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर/सीतामऊ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- अतिरिक्त/जिला अभियोजन अधिकारी, मंदसौर/सीतामऊ/नारायणगढ़/गरोठ/ भानपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, मंदसौर/सीतामऊ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ।
- 5- नाजिर/नायब नाजिर, नजारत अनुभाग मंदसौर/सीतामऊ/नारायणगढ़/ गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ।
- 6- सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए./कम्प्यूटर लिपिक न्यायिक स्थापना मंदसौर/सीतामऊ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई-मेल/मेसेजे के माध्यम से संबंधित को प्रेषित किये जाने हेतु।

(अतुल बिल्लौरे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मंदसौर (म.प्र.)